

चिकित्सा सहायता

1. झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद राज्य के अधिवक्ताओं के लिये चिकित्सा सहायता योजना चलाती है।
2. राज्य का हर अधिवक्ता नियमतः इसका सदस्य रहता है और इसके लिये निर्धारित सदस्यता शुल्क चुकाना हर अधिवक्ता के लिये अनिवार्य है।
3. इसके तहत ऐसे अधिवक्ता को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो गम्भीर बीमारी की चिकित्सा हेतु आवेदन इसके लिये आवेदन करते हैं तथा जिसका सदस्यता शुल्क जमा रहता है।
4. सदस्यता शुल्क इस प्रकार है:—
 - (क) आजीवन सदस्यता शुल्क रु. 2000/— (दो हजार)
 - (ख) वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. 200/— (दो सौ)यदि कोई अधिवक्ता तीन वर्ष से अधिक समय तक सदस्यता शुल्क नहीं जमा करते हैं तो उन्हें रु0 5 प्रति महीना अथवा अधिकतम रु. 30/— का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है।
5. यदि कोई अधिवक्ता चिकित्सा सहायता चाहता है तब चिकित्सा सहायता आवेदन अस्पताल/चिकित्सक की पर्ची तथा दवा आदि के रसीद के साथ जमा करें। सहायता आवेदन का प्रपत्र Jharkhand State Bar Council के वेबसाइट www.jharkhandstatebarcouncil.org पर उपलब्ध है। इसके अलावा इसे Jharkhand State Bar Council के कार्यालय से भी निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

.....